न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 126/2014 दायर दिनाँक 03.07.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. जगदीश पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बरडवा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कमलादेवी पत्नी हनुमान प्रसाद 2. श्रवणकुमार पुत्र मदनलाल 3. शिवकुमार पुत्र मदनलाल 4. शंकरलाल पुत्र रामेश्वरलाल 5. मोहनीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल 6. सावित्री देवी पुत्री रामेश्वरलाल 7. गायत्रीदेवी पुत्री रामेश्वरलाल 8. सम्पतदेवी पुत्री रामेश्वरलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी बरडवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 9. उप तहसीलदार मौलासर 10. तहसीलदार डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0

उपस्थितः—

1. श्री समंदर सिंह वकील, वादी।
2. श्री रघुवीरसिंह वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 26.12.2018

मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 01 कमला देवी की तरफ से वकील श्री रघुवीरसिंह शेखावत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 का पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि बरडवा की कांकड में स्थित खेत खसरा संख्या 923 रकबा 05 बीघा भूमि में से अपने हिस्से की भूमि वादी के पिता रामेश्वरलाल ने दिनांक 05.09.2009 को जरिये इकरारनामा के प्रतिवादिया के स्व0 पति हनुमान प्रसाद को दे दी थी। उनके जीवन पर्यन्त कब्जा उनका रहा तथा वर्तमान में कब्जा काश्त मौके पर निर्विवाद रूप से प्रतिवादिया का चला आ रहा है। वादिया का मौके पर कब्जा नहीं है। वादी ने प्रतिवादिया नं0 01 के खिलाफ उक्त मुकदमा उसे आर्थिक मानसिक दृष्टि से हैरान व परेशान करने के लिए पेश किया है। न तो वाद

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

हैतुक पेश हुआ है और न ही विधि अनुसार उक्त दावा पेश किया गया है। इस कारण वादी का उक्त वाद मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का उक्त वाद मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 का जवाब वादी की ओर से पेश हुआ। वादी के जवाब अनुसार प्रतिवादीनी का पद संख्या एक गलत होने से अस्वीकार है। वादी ने उक्त दावा मौजा बरडवा की शरहद में खेत खसरा सं0 171 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खेत खसरा सं0 173 रकबा 13 बिस्वा, खेत खसरा सं0 223 रकबा 05 बीघ्घा, खेत खसरा सं0 137 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा, खेत खसरा सं0 184 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी रामलाल व गोपीकिशन के फौत होने पर उनके नाम की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण सं0 02 ता 08 के नाम घोषणा बाबत दावा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। रामलाल व गोपीकिशन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 08 के काकाक बाबा व संयुक्त परिवार के सदस्य थे जो अविवाहित फौत हो चुके है। जिनका नाम आज भी खातेदारी में दर्जहै मगर उपरोक्त खेतों पर कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 08 का है। जिस बाबत वादी को वाद हैतुक उत्पन्न हुआ है।

प्रतिवादीनी के दर0 के पद संख्या दो गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी सं0 01 अजनबी क्रेता है क्योंकि खसरा सं0 223 की 1/2 हिस्से की जमीन में रामपाल पुत्र मूलाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। इसलिए प्रतिवादी संख्या एक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 का पेश कर अदालत को मुगालता में रख कर वादी का दावा खारिज करवाना चाहती है और वादी के बन्ट की जमीन को लाठी के दम पर हडपना चाहती है। जबकि कानून की मंशा से प्रतिवादी संख्या एक खेत खसरा सं0 223 की अजनबी क्रेता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादिनी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि बरडवा की कांकड में स्थित खेत खसरा संख्या 223 रकबा 05 बीघा भूमि में से अपने हिस्से की भूमि वादी के पिता रामेश्वरलाल ने दिनांक 05.09.2009 को जरिये इकरारनामा के प्रतिवादिया के स्व0 पति हनुमान प्रसाद को दे दी थी। उनके जीवन पर्यन्त

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

कब्जा उनका रहा तथा वर्तमान में कब्जा काश्त मौके पर निर्विवाद रूप से प्रतिवादिया का चला आ रहा है तथा रामेश्वरलाल के वारिस प्रतिवादी सं0 04 से 08 ने वाके सरहद बरडवा के खसरा सं0 223 रकबा 05 बीघा में से 5/12 वां हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2013 को बैचाण कर दिया है। अतः वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी सं0 01 का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने की कृपा करावें।

वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा बरडवा की शरहद में खेत खसरा सं0 171 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खेत खसरा सं0 173 रकबा 13 बिस्वा, खेत खसरा सं0 223 रकबा 05 बीघ्घा, खेत खसरा सं0 137 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा, खेत खसरा सं0 184 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी रामलाल व गोपीकिशन के फौत होने पर उनके नाम की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण सं0 02 ता 08 के नाम घोषणा बाबत दावा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। रामलाल व गोपीकिशन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 08 के काकाक बाबा व संयुक्त परिवार के सदस्य थे जो अविवाहित फौत हो चुके है। जिनका नाम आज भी खातेदारी में दर्जहै मगर उपरोक्त खेतों पर कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 08 का है। प्रतिवादी सं0 01 अजनबी क्रेता है क्योंकि खसरा सं0 223 की 1/2 हिस्से की जमीन में रामपाल पुत्र मूलाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। इसलिए प्रतिवादी संख्या एक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 का पेश कर अदालत को मुगालता में रख कर वादी का दावा खारिज करवाना चाहती है। अतः प्रतिवादिनी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 04 ता 08 ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2013 के द्वारा प्रतिवादी सं0 01 को बैचाण कर दिया है। प्रतिवादी संख्या एक रजिस्ट्रर्ड क्रेता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा प्रतिवादी संख्या एक का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 126 / 2014
दायर दिनाँक 03.07.2014 निर्णय दिनाँक 26.12.2018
जगदीश प्रसाद बनाम कमलादेवी, वगैरा।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाता है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 का स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर प्रतिवादी सं0 04 ता 08 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में किये गये रजिस्ट्रर्ड बैचाण के अनुसार खातेदारी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 26.12.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **126/2014** दायर दिनाँक **03.07.2014**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जगदीश पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बरडवा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कमलादेवी पत्नी हनुमान प्रसाद 2. श्रवणकुमार पुत्र मदनलाल 3. शिवकुमार पुत्र मदनलाल 4. शंकरलाल पुत्र रामेश्वरलाल 5. मोहनीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल 6. सावित्री देवी पुत्री रामेश्वरलाल 7. गायत्रीदेवी पुत्री रामेश्वरलाल 8. सम्पतदेवी पुत्री रामेश्वरलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी बरडवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 9. उप तहसीलदार मौलासर 10. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **26.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री समंदरसिंह, वकील, वादी व श्री रघुवीरसिंह वकील प्रतिवादी सं0 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाता है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी0पी0सी0 का स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर प्रतिवादी सं0 04 ता 08 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में किये गये रजिस्ट्रर्ड बैचाण के अनुसार खातेदारी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **26.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना(नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना(नागौर)

Scanned by CamScanner